

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र / FSSAI / संख्या : 16 / 2018

जगदीश प्रसाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।

आवेदक

बनाम

गंगाप्रसाद पुत्र श्री माधो प्रसाद मालिक एवं विक्रेता गंगा डेयरी अटलबन्ध भरतपुर निवासी इन्द्रा कालौनी भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थिति :

1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 7.3.2018

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 विरुद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायल उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 20.9.2017 को सुबह 01:30 पी0एम0 बजे गैरसायल की फर्म गंगा डेयरी अटलबन्ध मण्डी भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की डेयरी पर टीन के कन्टेनर में करीब 15 कि0ग्रा0 दही सपरेटा आम जनता इस्तेमाल के लिए विक्रय हेतु पाया गया। जिसमें मिलावट/संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस-886/एक्ट/2017/907 दिनांक 6.10.2017 द्वारा उक्त सपरेटा के दही का नमूना अवमानक स्तर (Sub standard) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अवमानक स्तर (Sub standard) प्रकृति के सपरेटा के दही का

विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि उसके द्वारा पशुपालकों से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता का दूध क्रय कर सपरेटा का दही इत्यादि खाद्यपदार्थ निर्मित किया जाकर आम जनता को विक्रय किया जाता है। गैरसायल के द्वारा वक्त निरीक्षण पाये गये सपरेटा के दही में कोई मिलावट अपने स्तर से नहीं की गई है। गैर सायल यह त्रुटी सहबन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए किसी भी खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैर सायल के कथनों पर मनन किया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल के विक्रय स्थल से जो सपरेटा के दही का नमूना लिया गया था वह खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या संख्या - एलएस-886/एक्ट/2017/907 दिनांक 6.10.2017 के द्वारा अवमानक स्तर (Sub standard) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सावधानी पूर्वक सपरेटा के दही इत्यादि खाद्यपदार्थ का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 2000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल द्वारा रसीद संख्या 000027 दिनांक 7.3.2018 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई। कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ़्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 7.3.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
भरतपुर